

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक: एफ.28( ) परावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ.सपोटरा/निलम्बन/2015/

1892

जयपुर, दिनांक:

10/05/16

**:: आदेश ::**

विभागीय आदेश क्रमांक 1623 दिनांक 20.04.2016 द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह जादौन, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति सपोटरा (करौली) मुख्यालय जिला परिषद करौली को जाँच विचाराधीन रखते हुए निलम्बन से बहाल किया गया है, को तत्काल प्रभाव से पंचायत समिति बकानी (झालावाड) में पंचायत प्रसार अधिकारी के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,



(मातादीन शर्मा)

अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद करौली / झालावाड।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सपोटरा (करौली) / बकानी (झालावाडी)।
5. श्री राजेन्द्र सिंह जादौन, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति सपोटरा (करौली) मुख्यालय जिला परिषद करौली।
6. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
7. आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव